न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी: अरविन्द शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 61/2023 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

—आवेदक—

बनाम

1. श्री राहुल चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रहलादनारायण चतुर्वेदी एफबीओ मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सोमनाथ नगर आगरा रोड, दौसा, जिला दौसा।
2. श्रीमति अनिता गुप्ता पत्नी श्री कृष्णअवतार खण्डेलवाल मैसर्स भगवती एन्टरप्राइजेज, भगवती हाउस मानगंज दौसा, जिला दौसा।

—अभियुक्त—

(जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011)

उपस्थिति :खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।

:अप्रार्थीगण अभियुक्त उपस्थित।

—::आदेश::— दिनांक:—13.02.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 08.03.2023 को दोपहर बाद 04.50 बजे मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सोमनाथ नगर आगरा रोड, दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय विक्रेता श्री राहुल चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रहलादनारायण चतुर्वेदी उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ पंजीकरण दिखाने के लिए कहां, तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय दुकान में काउन्टर पर 1.25 किलोग्राम की पैकिंग में पैक रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर इनमें से नमूने की जाँच हेतु 4 मूल पैक डिब्बें रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) खरीदा। जिसकी कीमत 600 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया। नमूने के लिए खरीदशुदा रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहन व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को डिब्बों पर चिपकाकर डिब्बो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर डिब्बो पर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी. 3218 गोंद से चिपकाकर डिब्बो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बाँधकर डिब्बो को चार—चार जगह से चपड़ी से सील मोहर कर डिब्बो पर एफबीओ (विक्रेता) व गवाहन के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील बन्द डिब्बो को अपने कब्जे में लिया। आवेदक ने मौके पर फार्म न. 5 ए की दो प्रतिया तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म न. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफबीओ व गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफबीओ व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये। आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म न. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द डिब्बा एक

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा।

Scanned with OKEN Scanner

आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म न. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द डिब्बा व फार्म न. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 09.03.2023 को खाद्य विश्लेषक, राज., अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.03.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सील बन्द डिब्बा व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.03.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ को जमा करवाये। उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/258/एक्ट/2023/280 दिनांक 17.03.2023 के अनुसार मिसब्राण्ड (Misbrand) पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध न्याय निर्णय आवेदन पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अभियुक्तगण की गई। अभियुक्तगण उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अभियुक्तगण की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के नमूने में खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/258/एक्ट/2023/280 दिनांक 17.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ के लेबल पर USE BY/ EXPIRY- Not written होने से Contravention to the regulation No. 2.5(10), of FS&S (Labelling & Display) Regulations 2020 के कारण उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) का नमूना मिसब्राण्ड (Misbrand) पाया गया है। अभियुक्तगण ने मिसब्राण्ड (Misbrand) खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) का विक्रय कर एफएसएसए 2006 की धारा 26 2(II) का उल्लंघन किया है। अतः धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित प्रावधानो के तहत अभियुक्तगण को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अभियुक्त संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) बिल संख्या 2734 दिनांक 08.03.2023 के द्वारा भगवती एंटरप्राईजेज फर्म दौसा से खरीदा गया था तथा उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के मिसब्राण्ड (Misbrand) होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

अभियुक्त सं. 02 की ओर से जरिये पॉवर ऑफ अटोर्नी श्री कृष्णावतार खण्डेलवाल द्वारा उपस्थिति दी तथा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि प्रार्थी के पास भगवती एन्टरप्राइजेज, भगवती हाउस मानगंज दौसा में दुकान है। जिस पर मिठाईयों का विक्रय की जाती है। उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार दौसा को इनवॉइस संख्या 2734 दिनांक 08.03.2023 से विक्रय किया गया था। जो श्री ओम फूड प्रोडेक्ट्स मोहनपुरा वाटिका सांगानेर जयपुर के इन्वॉईस नं. 1084 दिनांक 16.02.2023 से खरीदा था। उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के मिसब्राण्ड (Misbrand) होने की जानकारी नही थी। प्रार्थी भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करेगा। कृपया कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करें।

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट दौसा

Scanned with OKEN Scanner

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/258/एक्ट/2023/280 दिनांक 17.03.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) के नमूने की जांच में मिसब्राण्ड (Misbrand) का पाया गया है। उक्त नमूना जांच में Contravention to the regulation No. 2.5(10), of FS&S (Labelling & Display) Regulations 2020 एवं एफएसएसए 2006 की धारा 26 2(II) का उल्लंघन पाया गया है। जिसका जुर्माना अधिनियम की धारा 52 एफएसएसए 2006 में वर्णित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियुक्तगण द्वारा मिसब्राण्ड (Misbrand) खाद्य पदार्थ रसगुल्ला रसबहार ब्राण्ड (Rasgulla rasbahar Brand) का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने के फलस्वरूप अभियुक्त संख्या 01 श्री राहुल चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रहलादनारायण चतुर्वेदी एफबीओ मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सोमनाथ नगर आगरा रोड, दौसा, जिला दौसा पर 2,000/–रूपये (अक्षरे दो हजार रूपये) एवं अभियुक्त संख्या 02 श्रीमति अनिता गुप्ता पत्नी श्री कृष्णअवतार खण्डेलवाल मैसर्स भगवती एन्टरप्राइजेज, भगवती हाउस मानगंज दौसा, जिला दौसा (राज0) पर 30,000/–रूपये(अक्षरे तीस हजार रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्तगण उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 13.02.2026 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित (Chief Medical & Health Officer Dausa) के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 13.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक: FSSA/26/ 437–40

दिनांक:–13 .02.2026

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री राहुल चतुर्वेदी पुत्र श्री प्रहलादनारायण चतुर्वेदी एफबीओ मैसर्स लक्ष्मी मिष्ठान भण्डार, सोमनाथ नगर आगरा रोड, दौसा, जिला दौसा।
4. श्रीमति अनिता गुप्ता पत्नी श्री कृष्णअवतार खण्डेलवाल मैसर्स भगवती एन्टरप्राइजेज, भगवती हाउस मानगंज दौसा, जिला दौसा।

13/2/26

(अरविन्द शर्मा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

Scanned with OKEN Scanner